न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

सं. 37/25 जीसीएमएस : 2025/75

1. जगदीश पुत्र श्री सुल्तान जाति बाबरी निवासी 1 एन.जेड.पी.ए तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)।

—:वादी

बनाम

1. भानीराम पुत्र श्री सुल्तान जाति बाबरी निवासी 1 एन.जेड.पी तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार साहब राजस्व रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)।

—:प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53—92ए राज0 काश्त0 अधि0

उपस्थित अधिवक्तागण
1. श्री रविन्द्र बिश्नोई अधि. वादी।
2. श्री गुरप्रताप सिंह अधिवक्ता प्रति. अधि.।

—:निर्णयः— दिनांक :—27.03.2026

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान रिकार्ड जमाबंदी सम्मत 2076—2079 चक 1 एन.जेड.पी.बी. के खाता संख्या 15/11 मु.नं. 18 प.नं. 194/367 के किलानम्बर 23/1 में 0.190, 24/1 में 0.190, 25/1 में 0.189 हैक्टर कुल 0. 569 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि बहिस्सा बराबर बराबर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि संयुक्त खाता की भूमि है जिसका वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा काफी अरसा पूर्व से वाहमी बंटवारा किया हुआ है जो घरेलू बंटवारा निम्न प्रकार से है।

(क) वादी जगदीश के हिस्सा व कब्जा काश्त में चक 1 एन.जेड.पी.बी. के खाता सख्या 15/11 मुनं 18 प.न. 194/367 के किलानम्बर 23/1 में 0.190 हैक्टर में से 0.095 हैक्टर दक्षिणी पाशा, 24/1 में 0.190 हैक्टर में से 0.095 हैक्टर दक्षिणी पाशा, 25/1 में 0.189 हैक्टर में से 0.0945 हैक्टर दक्षिणी पाशा कुल 0.2845 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि (दक्षिणी पाशा) हिस्सा।

(ख)प्रतिवादी संख्या 1 भानीराम के हिस्सा व कब्जा काश्त में चक 1 एन.जेड.पी.बी. के खाता संख्या 15/11 मु.नं. 18 प.नं. 194/367 के किलानम्बर 23/1 में 0.190 हैक्टर में से 0.095 हैक्टर उत्तरी पाशा, 24/1 में 0.190 हैक्टर में से 0. 095 हैक्टर उत्तरी पाशा, 25/1 में 0.189 हैक्टर में से 0.0945 हैक्टर उत्तरी पाशा कुल 0.2845 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि (उत्तरी पासा)।

यहां यह उल्लेखित किया जाना न्यायोचित होगा कि विवादित भूमि के उपरोक्त कि.नं. 23 ता 25 की 0.569 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि वादी की माता गौरा पत्नी सुल्तान के नाम आवंटन हुई थी तथा वादी के पिता श्री सुल्तान पुत्र श्री रतना के नाम से इसी चक 1 एन.जेड पी. बी. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 18 प.सं. 194/367 के किला नं. 1 ता 22 में 20.10 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटन हुई थी तथा वादी के पिता श्री सुल्तान के देहान्त के पश्चात उनके नाम की भूमि का विरासतन इन्तकाल वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 के अलावा वादी की बहन रोशनी व रूकमा के नाम दर्ज हुआ तथा वादी की बहन रोशनी व रूकमा ने अपना अपना हिस्सा जरिये दस्तबरदारी वादी व [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 के नाम छोड़े जाने पर वादी के पिता के [illegible] अपनी यानि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई उसके बा[illegible] 1 सहमति से उक्त भूमि का वाहमी बंटवारा कर[illegible] नम्बर 1/2 एन.जेड.पी.बी. तहसील रायसिंहनगर के मुनं. 18 प.नं. 194/367 के [illegible] में 0.202, 2 ता 9 प्रत्येक में 0.253, 10/[illegible] में 0.203, 11/2 में 0.028, 12/1 में 0.034, 13/1 में 0.034, 14/1 में 0.034, 15/1 में 0.034 हैक्टर [illegible] 2.593 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि प्राप्त हुई तथा प्रतिवादी संख्या 1 को इसी मुरब्बा के किलानम्बर 11/4 में 0.174, 12/2 में 0.219, 13/2 में 0.219, 14/2 में 0.219. 15/2 में 0.219, 16/2 में 0.244, 17 ता 19 प्रत्येक में 0.253, 20/2 में 0.203, 21/3 में 0.138

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:42:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

22/2 में 0.190 हैक्टर कुल 2.584 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि विभाजन में प्राप्त हुई। उक्त विभाजन के बाद वादी तथा प्रतिवादी ने अपनी उपरोक्त भूमि के हुए विभाजन को मध्यनजर रखते हुए अपनी माता गौरा के देहान्त के पश्चात विवादित भूमि का भी वाहमी बंटवारा कर लिया तब से वादी घरू बंटवारा अनुसार काबिज होकर काशत कर रहा है. लेकिन उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाता की होने के कारण बादी को अपनी भूमि का लगान, आबियाना इत्यादि जमा करवाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को अपने अपने हिस्सा व कब्जा अनुसार विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने व विभाजन करवाने के लिए बमुकाम गांव 1 एन.जेड.पी तहसील रायसिंहनगर में दिनांक 15.03.2025 को उक्त कब्जा काश्त के अनुसार भूमि का विभाजन करवाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने टालमटोल कर समय गुजार किया जाता रहा तथा अब प्रतिवादी संख्या 1 ने एलानियां धमकी दी है कि वह वादी के कब्जा काशत वाले किलाजात से वादी को बेदखल कर अपना कब्जा करेगा तथा भूमि का विभाजन करवाने से स्पष्टतः इन्कार हो गया बस यही तारीख बिनाय मुखास्मत है तथा बिनाय दावा वादी को उक्त भूमि काफी अरसा से बांट अनुसार काबिज होने व राजस्व रिकार्ड में उसके नाम होने के रोज से प्राप्त है। वादी वाहमी बंटवारा अनुसार भूमि का विभाजन करवाने तथा उसी अनुसार अपने नाम राजस्व रिकार्ड में अलग अमल दरामद करवाने का विधिक अधिकारी है। वाद वादी भूमि विभाजन अन्तर्गत उपरोक्त किलाजात के विभाजन अनुसार अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतू अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काशतकारी अधिनियम के तहत पेश किया जा रहा है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है तथा अंदर मियाद व उचित न्यायशुल्क पर पेश है। भूमि की मालिक राजस्थान सरकार है इसलिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर को आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया हैं अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी निम्न प्रकार से फैसला एवं डिक्री सादिर फरमाया जावे कि चक 1 एन. जेड.पी.बी. के खाता संख्या 15/11 मु.नं. 18 प.नं. 194/367 के किलानम्बर 23/1 में 0.190, 24/1 में 0.190, 25/1 में 0. 189 हैक्टर कुल 0.569 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि में वादी के हिस्सा की भूमि के वाहमी बंटवारा में मिली भूमि चक 1 एन.जेड.पी.बी. के मु.नं. 18 प.नं. 194/367 के किलानम्बर 23/1 में 0.190 हैक्टर में से 0.095 हैक्टर दक्षिणी पासा, 24/1 में 0.190 हैक्टर में से 0.095 हैक्टर दक्षिणी पासा, 25/1 में 0.189 हैक्टर में से 0.0945 हैक्टर दक्षिणी पासा कुल 0.2845 हैक्टर अनकमाण्ड भूमि (दक्षिणी पासा) अनकमाण्ड भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 से खाता विभाजन किया जाकर वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में अलग नामान्तरण किए जाने की डिक्री पारित की जावे। प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वे विवादित भूमि पर चले आ रहे वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने से बाज व ममनू रहे तथा ऐसी कोई कार्यवाही न करे जिससे वादी उक्त भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित होता हो। अन्य अनुतोष जो बहक वादी हो दिलाया जावे जनाब की अति कृपा होगी।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए रजि. सम्मन तलब किया गया। प्रति. सं. 1 की तरफ से श्री गुरप्रतापसिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

3. तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2025/5742 दिनांक 29.09.2025 को चक 1 एनजैडपीबी के खाता संख्या 15 मु.नं. 18 के कुल 0.569 है भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिस पर वादी अधिवक्ता ने एतराज पेश किया। विभाजन प्रस्ताव पर वादी एवं प्रतिवादीगण की सहमति नहीं होने पर वाद पत्र में पुनः विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार रायसिंहनगर को निर्देशित किया।

4. दिनांक 18.03.2026 को वादी एवं प्रतिवादीगण ने न्यायालय मे हाजिर होकर वाद पत्र में राजीनामा पेश कर कथन किया कि राजीनामा– पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना व प्रेरणा से राजीनामा होकर पक्षकारान के मध्य ... रकबा प्रत्येक पक्षकार के हिस्सानुसार विधिवत बंटवारा व खाता विभाजन करके राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करवाना तय पाया गया है कि विवादित रकबा चक 1 एन.जैड.पी.बी. तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या नया 15 (पुराना 11) में पत्थर नंबर 194/367 मुरब्बा नंबर 18 के किला नंबर 23/1 ता 25/1 की कुल खाता योग 0.569 है0 अनकमाण्ड का मिकर द्वितीय पक्षकार/प्रतिवादी भानी राम अकेला खातेदार होना, तेय पाया गया। इस खाता में प्रथम पक्षकार/वादी जगदीश के 1/2 भाग यानि 0.2845 है0 अनकमाण्ड भूमि की एवज में द्वितीय पक्षकार/भानीराम ने अपने खाता में से भूमि दी है। मिकर द्वितीय पक्षकार/प्रतिवादी भानीराम के नाम की कृषि भूमि वाके

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:42:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with OKEN Scanner

चक 1 एन.जैड.पी.बी. तहसील रायसिंहनगर के खाता संख्या 33/23 में पत्थर नंबर 194/367 मुरब्बा नंबर 18 की कुल खाता योग 2.584 है0। अनकमाण्ड में से किला नंबर 21/3 के किला नंबर 0.13880. 22/2 की 0.1465 है0 दक्षिणी पासा सड़क से सटते कुल 0.2845 है0 अनकमाण्ड का मिकर प्रथम पक्षकार/वादी जगदीश का खतेदार होना, तेय पाया गया। उपरोक्तानुसार विधिवत विभाजन व खाता विभाजन अनुसार राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करवा लगान आदि मुकर्र करवाना, तेय पाया गया। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर मुताबिक राजीनामा वाद निर्णित वा डिकी किये जाने के आदेश फरमायें। राजीनामा पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर कर राजीनामा तस्दीक किया गय

5. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दिनांक 18.03.2026 को प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद–पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

–:आदेश:–

अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि जगदीश पुत्र श्री सुलतान जाति बावरी साकिन 1 एनजैडपीबी खाता संख्या 33/23 मु. नं. 18 प.नं. 194/367 की कुल कि.नं. 21/3/0.138 है., 22/2/0.1465है. दक्षिणी पासा सड़क से सटते कुल 0.2845 है. अनकमाण्ड भूमि एवं भानीराम पुत्र श्री सुलतान जाति बावरी साकिन 1 एनजैडपीबी खाता संख्या 15/11 मु.नं. 18 प.नं. 194/367 के कि.नं. 23/1 ता 25/1 की 0.569है. अनकमाण्ड भूमि का खातेदार घोषित किया जाता हैं शेष खाता बदस्तूर रहेगा। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:42:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner